

बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ

53, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ

संख्या:बी.सा.पु.सं./कु.स./2017/एल-557


दिनांक: अगस्त 08, 2017

कार्यालय ज्ञापन

चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के लिए कार्यालय में दावा प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि इलाज के उपरांत 6 माह तक है। प्रायः कई कर्मचारी/पेंशनर इस समयावधि तक कार्यालय में चिकित्सा दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं। समीक्षापरांत सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि इलाज की समाप्ति के 6 माह के उपरांत चिकित्सा दावों को कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अतः सभी से अनुरोध किया जाता है कि इलाज समाप्ति के उपरांत अधिकतम 6 माह तक अपना चिकित्सा दावा कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत कर दें। इसके उपरांत अवधि के चिकित्सा दावों को कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसे निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. निदेशक कार्यालय - सूचनार्थ
2. रजिस्ट्रार कार्यालय
3. लेखाधिकारी - आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. श्री अविनाश श्रीवास्तव- भविष्य में उपरोक्त के सख्त अनुपालन हेतु।
5. संयोजक, वेबसाइट कमेटी - everyone@bsip.res.in/pensioner@bsip.res.in पर ईमेल करवाने के अनुरोध के साथ।
6. समस्त सूचनापट्ट/कार्यालय प्रति